उत्तराखण्ड सड़क संरचना सुरक्षा (संशोधन) विधेयक, 2023

उत्तराखण्ड विधेयक संख्या   वर्ष 2023

उत्तराखण्ड सड़क संरचना सुरक्षा अधिनियम, 2014 (अधिनियम संख्या 15 वर्ष 2014) में अग्रेत्तर संशोधन के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सड़क संरचना सुरक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2023 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 2 का संशोधन 2. उत्तराखण्ड सड़क संरचना सुरक्षा अधिनियम, 2014 की धारा 2 में खण्ड (ढ),(ण) व (ध) प्रतिस्थापित कर दिए जाएगें, अर्थात् ;

"(ढ) "विहित प्राधिकारी" से सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों में प्रदत्त किन्हीं अथवा सभी कृत्यों के निर्वहन के लिए नियुक्त उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियन्ता के श्रेणी से अनिम्न प्राधिकारी अभिप्रेत है ;

(ण) "पुनर्विलोकन प्राधिकारी" से सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों में प्रदत्त किन्हीं अथवा सभी कृत्यों के निर्वहन के लिए नियुक्त उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग का प्रमुख अभियन्ता "विभागाध्यक्ष" अभिप्रेत है ;

(ध) "कार्य निरीक्षक" से सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों में प्रदत्त किन्हीं अथवा सभी कृत्यों के निर्वहन के लिए नियुक्त उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग के कनिष्ठ अभियन्ता के श्रेणी से अनिम्न प्राधिकारी अभिप्रेत है। "

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

Statement of Objects and Reasons

In a view of simplification, implementation of sections of clarification of rights and smooth conduct of proceeding, in the Uttarakhand Road Structure Safety Act, 2014 amendment is proposed in said act.

2- The proposed bill fulfills the aforesaid objectives.

Satpal Maharaj
Minister.

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

THE UTTARAKHAND ROAD INFRASTRUCTURE PROTECTION (Amendment) Bill,2023

(Uttarakhand Bill No. of 2023)

A

Bill

further to amend the Uttarakhand Road Infrastructure Protection Act, 2014 (Act No. 15 of 2014).

Be it enacted by the Uttarakhand Legislative Assembly in the seventy-fourth Year of the Republic of India, as follows:-

Short title and Commencement	1.	(1)	This Act may be called the Uttarakhand Road Infrastructure Protection (Amendment) Act, 2023.
		(2)	It shall come into force at once.
Amendment of Section 2	2.		In Section 2 of the Uttarakhand Road Infrastructure Protection Act, 2014, clause (n), (o) & (s) shall be substituted, as follows namely:-
		"(n)	"Prescribed authority" means any authority not below the rank of Assistant Engineer of Uttarakhand Public Works Department, appointed by the Government by notification, in the Official Gazette, to perform any or all of the functions as conferred under him under this Act and the rules made thereunder;
		(o)	"Revisional authority" means Engineer-in-Chief, HoD, of Public Works Department, Uttarakhand, appointed by the Government, by notification, in the Official Gazette, to perform any or all of the functions as conferred under him under this Act and the rules made thereunder;
		(s)	"Work Inspector" means any authority not below the rank of Junior Engineer of Uttarakhand Public Works Department, appointed by the Government by notification, in the Official Gazette, to perform any or all of the functions as conferred under him under this Act and the rules made thereunder."

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

विधेयक का खण्डवार ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक उत्तराखण्ड सड़क संरचना सुरक्षा अधिनियम, 2014 में संशोधन मात्र है।

1– खण्ड 1 में संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ का उपबन्ध किया जाना प्रस्तावित है।

2– खण्ड 2 में धारा 2 में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।

सतपाल महाराज
मंत्री।

प्रमाणित प्रति
लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

3६०

वित्तीय ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक उत्तराखण्ड सड़क संरचना सुरक्षा अधिनियम, 2014 में संशोधन मात्र है।

2— प्रस्तावित विधेयक में राज्य की संचित निधि में किसी प्रकार का आवर्ती एवं अनावर्ती व्यय अन्तर्निहित नहीं है।

सतपाल महाराज
मंत्री।

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजित ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक उत्तराखण्ड सड़क संरचना सुरक्षा अधिनियम, 2014 में संशोधन मात्र हैं।

2— प्रस्तावित विधेयक में विधायी शक्तियों का सामान्य प्रत्यायोजन मात्र है।

सतपाल महाराज
मंत्री।

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड